



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 21 राँची, बुधवार 12 कार्तिक, 1943 (श०)
3 नवम्बर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 299- 306
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और
2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक--

पूरक "अ"

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 सितम्बर, 2021

संख्या-4/ नि०सं०-12-03/2017 का.-4478--श्रीमती अनुराधा कुमारी, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा को वित्त विभाग के संकल्प एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश तथा अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

- | | |
|--|---|
| (i) दिनांक 16.08.2016 से 11.02.2017 तक
(कुल 180 दिन) | - वित्त विभाग, राँची, झारखण्ड के संकल्प ज्ञापांक-907 दिनांक 01.07.2010 तथा 551 दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में, |
| (ii) दिनांक 12.02.2017 से 11.07.2017 तक
(कुल 150 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में । |
| (iii) दिनांक 12.07.2017 से 08.08.2017 तक
(कुल 28 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 सितम्बर, 2021

संख्या--4/नि०सं०-12-183/2014 का.4458--श्री ठाकुर गौरी शंकर शर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 417/20, गृह जिला- देवघर), व्याख्याता सर्ड, राँची द्वारा दिनांक 15.07.2021 से 30.07.2021 तक (कुल 16 दिन) उपभोग की गई अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 सितम्बर, 2021

संख्या-03/नि०सं०-09-13/2021का.4809--श्री रामा रविदास, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-122/20), अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी, बोकारो को दिनांक 05.03.2021 से दिनांक 01.07.2021 तक (कुल 119 दिनों का) उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 सितम्बर, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-29/2017 का.-4788--श्रीमती तृप्ति विजया कुजूर, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-राँची) अंचल अधिकारी, चितरपुर, रामगढ़ को दिनांक 01.02.2021 से 27.06.2021 तक कुल 147 दिनों के द्वितीय मातृत्व अवकाश की स्वीकृति वित्त विभागीय संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 तथा संकल्प संख्या-551 दिनांक 01.03.2007 के आलोक में प्रदान की जाती है ।

2. पूर्व में विभागीय अधिसूचना सं० 4036 दिनांक 20.08.2020 द्वारा श्रीमती कुजूर के दिनांक 01.08.2018 से दिनांक 27.01.2019 तक के प्रथम मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**9 सितम्बर, 2021**

संख्या-4/नि०सं०-12-299/2014 का०-4710--श्रीमती नूपुर नलिनी भगत, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राँची को वित्त विभाग के संकल्प के सुसंगत नियमों के अधीन मातृत्व अवकाश की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 08.07.2018 से 03.01.2019 - वित्त विभाग, राँची, झारखण्ड के संकल्प तक (कुल 180 दिन) जापांक-907, दिनांक-01.07.2010 तथा 551 दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KUMARI PUSHPA SHARMA पिता RAM SEWAK SHARMA, पति AMRITANSH CHOUDHARY, शपथ पत्र सं० 2011, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 के अनुसार PUSHPA CHOUDHARY के नाम से जानी जाऊँगी।

PUSHPA CHOUDHARY एवं KUMARI PUSHPA SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है।

PERMANENT RESIDENT-- 47, RAM NAGAR COLONY,
CHAS,
BOKARO,
JHARKHAND,
A/P KADRU A.G. COLONY,
RANCHI, JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANISH KUMAR SINGH अन्य नाम MANISH KUMAR पिता SHRI PRAMOD KUMAR SINGH, शपथ पत्र सं० 02, दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 के अनुसार MANISH KUMAR SINGH के नाम से जाना जाऊँगा।

MANISH KUMAR SINGH तथा MANISH KUMAR दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

PRESENT RESIDENT-- JAYANTI- 150,
VASTU VIHAR KOLA KUSMA,
PHASE- 1,
SARAIIDHELA,
DHANBAD (JHARKHAND.)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं AINUL ANSARI अन्य नाम AINUL HAQUE एवं MD AINUL ANSARI पिता SHEKH MUNAM, शपथ पत्र सं० 12280, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के अनुसार AINUL ANSARI के नाम से जाना जाऊँगा ।

AINUL ANSARI तथा AINUL HAQUE एवं MD AINUL ANSARI सभी एक ही पुरुष का नाम है ।

PRESENT RESIDENT-- GRAM - CHIRI,
P. O.- CHIRI,
P. S.- KUDDU,
DIST.- LOHARDAGA,
JHARKHAND.

PRESENT RESIDENT-- MUHALLA NEW AAZAD BASTI,
LOHARDAGA,
WARD NO.- 2
P.O. & P.S.- LOHARDAGA,
DIST.- LOHARDAGA,
(JHARKHAND)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRABHA KUMARI पति SUDHIR KUMAR RANJAN, शपथ पत्र सं० 172, दिनांक 5 अप्रैल, 2021 के अनुसार PRABHA RANJAN के नाम से जानी जाऊँगी ।

PRABHA RANJAN एवं PRABHA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

PERMANENT RESIDENT-- SR- 6,
LAKE AVENUE,
KANKE ROAD,
P.S.- GONDA,
RANCHI,
JHARKHAND.
